फा.सं.9-5/2018-एफईएस-ई.एस.

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

कमरा सं. 450, कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: फ़रवरी, 2019

श्री मनोज कुमार,
पुत्र:- श्री रामअवतार शाक्या,
गाँव:- चौहानपूर,
पोस्ट:- अजीतगंज,
मैनपुरी - 205247,
उत्तरप्रदेश

विषय: **जन सुचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनाक 21/02/2019 के तहत आवेदन**

महोदय,

कृपया उत्पादन लागत के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्यो का निर्धारण किसानो द्वारा स्वंय निर्धारित करने के संबंध मे लोक शिकायत के तहत ऊपर लिखित लोक शिकायत पंजीकरण सं. का संदर्भ ग्रहण करें।

कृषि जिन्सों की मूल्य नीति का उद्देश्य उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्यों को सुनिश्चित करना है ताकि उचित मूल्यों पर आपूर्ति उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते समय अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में उच्चतर पूंजीनिवेश एवं उत्पादन को प्रोत्साहित तथा एक संतुलित एवं एकीकृत मूल्य ढ़ांचा विकसित किया जा सकें । सरकार द्वारा 14 खरीफ फसलो धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मुंग, उड़द, कपास, मूंगफली छिलके सहित, सूरजमुखी बीज, सोयाबीन, तिल, रामतिल और 6 रबी फसलो गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड/सरसों, कुसुम्भ फसलो का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों, राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों को ध्यान मे रखकर अधिदेशीत कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए निष्पक्ष तथा लाभकारी मूल्य(एफआरपी) पर निर्णय लेती है, जिससे कृषकों को अपनी फसलों का सही मूल्य प्राप्त हो सकें। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा तोरिया एवम छिलका रहित नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरसों और कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कृषि जिन्सों के लिए मूल्यनीति को तैयार करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा क्षेत्र विशिष्ट पैरामीटरों का ध्यान रखा जाता है। चूंकि सिंचाई, संसाधन संवर्धन, फार्म अभियांत्रिकीकरण, भू-जोत आकार आदि के स्तरों में भिन्नताओं के कारण उत्पादन लागत भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होती है, अत: कृषि लागत और मूल्य आयोग अपनी सिफारिश करते समय अखिल भारतीय भारित औसत

उत्पादन लागत का उपयोग करता है। तथापि, कृषि लागत और मूल्य आयोग यह सुनिश्चित करता है कि इसमें सभी भुगतान की गई लागतें शामिल है जैसे किराया मानव श्रम, बैल श्रममशीन श्रम/, पट्टा भूमि के लिए दिया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई प्रभार जैसे भौतिक आदानों के उपयोग पर व्यय, उपकरणों और फार्म भवनों का मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सैटों आदि के प्रचालन के लिए डीजलबिजली/, विविध व्यय और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य।

सीएसीपी, अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पारिवारिक श्रम सहित (A2+FL) तथा अन्य पहलुओ जैसे बाजार मूल्यों में प्रवृत्तियां, मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवन लागत पर प्रभाव, आदि को ध्यान में रखकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करती है। केंद्रीय सरकार एवम राज्य की सार्वजानिक और सरकारी एजिंसियो के माध्यम से खरीद संचालनो का आयोजन इस उद्देश्य के साथ किया जाता है की बाजार मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम न हो।

सरकार द्वारा हर वर्ष अधिसूचित फसलो के न्यूनतम समर्थन मूल्यो में उनके पूर्व वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्यो की तुलना में पर्याप्त वृद्धि की जाती है। सरकार द्वारा 2018-19 मौसम की खरीफ एवं रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृधि की गई है। सरकार का यह निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है क्योकि यह 2018-19 के लिए केन्द्रिय बजट में घोषित लागत से डेढ़ गुना स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्यो को निर्धारित करने संबंधी पूर्व निर्धारित सिद्धांत के वादे को निभाता है।

2017-18 तथा 2018-19 हेतु रबी तथा खरीफ फसलो हेतु निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, अखिल भारतीय भारीत औसत उत्पादन लागत तथा भारतीय औसत उत्पादन लागत पर प्राप्त प्रतिफल विवरण में सलग्न है।

उत्तर के विरुद्ध यदि कोई अपील हो तो डॉ आर सतीश, सलाहकार एवम अपीलीय प्राधिकारी, कमरा संख्या 443-ए, अर्थ एवम सांख्यकी निदाशालय, कृषि भवन, नई दिल्ली, (ई मेल-satish@nic.in) दूरभाष संख्या- 011-23382244), को उत्तर की प्राप्ति की 30 दिन के भीतर दर्ज की जा सकती है।

सलग्न: यथानुसार

दीपिका 01.03.19
(दीपिका श्रीवास्तव)
उप निदेशक

प्रतिलिपि:

1. **श्री जे के राठी, सीपीआईओ & उप आर्थिक सलाहकार (सीसी),** एफ़ विंग, कमरा न 119, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. **आरटीआई, एकक, डीएस&एफ़डब्लु**, कृषि भवन, नई दिल्ली.
3. **टेक्नीकल डायरेक्टर, वरिष्ट तकनीकी निदेशक**, एनआईसी , कमरा न 341, कृषि भवन, नई दिल्ली -110001

अनुबंध

लागत*, न्यूनतम समर्थन मूल्य और लागत पर प्रतिशत लाभ

(रू./क्विंटल)

क्र.सं.	जिंस	2017-18			2018-19		
	खरीफ फसलें	लागत	एमएसपी	लागत पर % लाभ	लागत	एमएसपी	लागत पर % लाभ
1	धान (सामान्य)	1117	1550	38.8	1166	1750	50.1
2	ज्वार (हाईब्रिड)	1556	1700	9.3	1619	2430	50.1
3	बाजरा	949	1425	50.2	990	1950	97.0
4	मक्का	1044	1425	36.5	1131	1700	50.3
5	रागी	1861	1900	2.1	1931	2897	50.0
6	अरहर (तूर)	3318	5450	64.3	3432	5675	65.4
7	मूंग	4286	5575	30.1	4650	6975	50.0
8	उड़द	3265	5400	65.4	3438	5600	62.9
9	कपास (मध्यम रेशा)	3276	4020	22.7	3433	5150	50.0
10	मूंगफली छिलका सहित	3159	4450	40.9	3260	4890	50.0
11	सूरजमुखी बीज	3481	4100	17.8	3592	5388	50.0
12	सोयाबीन	2121	3050	43.8	2266	3399	50.0
13	तिल	4067	5300	30.3	4166	6249	50.0
14	रामतिल	3912	4050	3.5	3918	5877	50.0
	रबी फसलें						
1	गेहूं	817	1735	112.4	866	1840	112.5
2	जौ	845	1410	66.9	860	1440	67.4
3	चना	2461	4400	78.8	2637	4620	75.2
4	मसूर (लेन्टिल)	2366	4250	79.6	2532	4475	76.7
5	रेपसीडसरसों/	2123	4000	88.4	2212	4200	89.9
6	कुसुम्भ	3125	4100	31.2	3294	4945	50.1
	अन्य फसलें						
1	कोपरा (मिलिंग)	4758	6500	36.6	5007	7511	50.0
2	पटसन	2160	3500	62.0	2267	3700	63.2
3	गन्ना#	152	255	67.8	155	275	77.4

* इसमें सभी भुगतान की गई लागतें शामिल है जैसे किराया मानव श्रम, बैल श्रममशीन श्रम/, पट्टा भूमि के लिए दिया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई प्रभार जैसे भौतिक आदानों के उपयोग पर व्यय, उपकरणों और फार्म भवनों का मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सैटों आदि के प्रचालन के लिए डीजलबिजली/, विविध व्यय और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य।.

 # उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी)